(च) सीपीएसईज का वर्गीकरण

41 (1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन्नयन के फलस्वरूप सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के वेतनमान के उन्नयन की तारीख संबंधी नीति

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चार अनुसूचियों अर्थात् क, ख, ग और घ में वर्गीकृत किया गया है। लोक उद्यम की अनुसूची का कभी–कभी इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों के आधार पर उन्नयन किया जाता है। संबंधित लोक उद्यम की अनुसूची के उन्नयन के फलस्वरूप किस तारीख से निदेशक बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों के वेतनमान का उन्नयन किया जाना चाहिए, का मुद्दा कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है।

2. इस विषय पर वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन उसे छोड़कर जहां सरकार द्वारा पदेन आधार पर नियुक्ति की जाती है अनुसूची 'क' और 'ख' वाली राज्य के स्वामित्वाधीन सरकारी निगमों, कंपनियों अथवा उद्यमों के अध्यक्ष तथा प्रबंधक बोर्ड के अन्य सदस्यों (प्रबंध निदेशक और वित्तीय सलाहकार सहित अगर वित्तीय सलाहकार प्रबंध मंडल का सदस्य है) के पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपेक्षित है। अनुसूची 'ग' और 'घ' सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तरीय पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित की गई है बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति सख्ती से लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार की जाती है।

3. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सभी निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे जब तक उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट हो इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी अधिकारी के वेतनमान के उन्नयन के संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेश की तारीख उसे उच्चतर वेतनमान की अनुमति देने की संगत तारीख होनी चाहिए। अनुसूची 'ग' और 'घ' सरकारी उपक्रमों के मामले में लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के अनुमोदन की तारीख से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतर वेतनमान की अनुमति देने की संगत तारीख होगी।

(लो.उ.वि. का 18 दिसम्बर, 2003 का का.ज्ञा. सं. 9(10)/92– जी एम, – जीएल–51)